हिमाचल प्रदेश की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं पर व्यय की गई धनराशि

815. श्री महेश्वर सिंह : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जल-विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण और निर्माण कार्य के लिए वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) इन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि की मांग की थी; और

(ग) उपर्युक्त कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष कितनी धनराशि दी गई है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 1992-93 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपेक्षित निधियों और बोर्ड को आबंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण अन्यत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 163, अनुबंध सं० 15]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशियां

816. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीम अफजल : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की उपभोक्ताओं पर कुल कितनी धनराशि बकाया थी ;

(ख) कितने संस्थानों पर एक लाख रुपये से अधिक धनराशियों के बिल बकाया थे; और

(ग) इन संस्थानों पर कुल कितनी रकम के बिल बकाया हैं ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विद्युतप्रदाय संस्थान द्वारा अपने उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली राशि लगभग 455 करोड़ रुपए बैठती है। विभिन्न स्थानीय निकायों सहित लगभग 344 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी ओर एक लाख रुपए से भी अधिक राशि बकाया है और उनसे वसूल की जाने वाली कुल राशि लगभग 248 करोड़ रुपए बैठती है।

UPSEB's failure to prevent electricity thefts

817. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1997 dated the 10th March, 1992 and state :

(a) whether cases were also reported where even after disconnection of power supplies to concerned consumers the thefts by different means are continuing and the UPSEB has been failing to act in accordance with section 39 of the Indian Electricity Act 1910 and to book the culprits;

(b) whether some such cases were also referred to the Government by MPs and others;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what further steps are contemplated by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (d) The distribution of power, detection of theft and misue of energy falls within the purview of the State Governments/State Electrcity Boards. The cases of electricity theft etc. in Uttar Pradesh received from the Members of Parliament and others from time to time, were referred to the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB) for taking appropriate action. According to UPSEB,